मानव तस्करी रोकथाम की पहल करता महिला ग्राम संगठन

जेएसएलपीएस के महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों का जागरूकता कार्यक्रम

आजीविका/पंचायतनामा डेस्क

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत बनाये जा रहे सखी मंडल, महिला ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ सामाजिक कुरितीयों को दूर करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं. यह महिला संगठन एक ओर जहां महिलाओं को हस्ताक्षर करना सीखा रही है, वहीं गांवों में स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डायन प्रथा तथा महिला एवं बाल तस्करी के खिलाफ भी विशेष अभियान चला रही है.

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला ग्राम संगठन के सदस्यों को महिला एवं बाल तस्करी के प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि ये महिलाएं अपने-अपने सखी मंडल की बहनों को जागरूक करें, जिससे मानव तस्करी के दलालों का धंधा बंद हो सके. इसी कड़ी में कुछ माह पहले रांची के अनगड़ा प्रखंड के हेसलबेड़ा महिला ग्राम संगठन में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था. उसी क्रम में ग्राम संगठन की एक सदस्य संध्या देवी ने बताया कि हमारे आस-पास के गांवों में विवाह के नाम पर तस्करी की कई घटनाएं हो रही है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग यहां आते हैं और 13 साल से 25 साल की लड़कियों से विवाह कर उनको ले जाते हैं. इस मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद महिला ग्राम संगठन सदस्य संध्या देवी ने महिला एवं बाल तस्करी रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने को सोची. महिला ग्राम संगठन के सदस्यों ने आजीविका मिशन के सहयोग से एक बड़े स्तर का जागरूकता कार्यक्रम करने की रूपरेखा खींची. ग्राम संगठन के इसी सदस्यों ने मानव तस्करी के खिलाफ इलाके के हर परिवार को जागरूक करने का निर्णय लिया. 15 दिसंबर 2016 को झारखंड पुलिस के साथ मिलकर हेसबेड़ा आजीविका महिला ग्राम संगठन ने मानव तस्करी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मानव तस्करी के बारे में जागरूक करना था, ताकि कोई भी परिवार तस्करों के चंगुल में न फंसें. सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण लोगों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया. लोगों ने मानव तस्करी रोकथाम के लिए शपथ भी लिया.

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा महिला सखी मंडलों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर नुक्कड़ नाटकों के जरिये ग्रामीणों को मानव तस्करी रोकथाम के लिए जागरूक किया जाता है. इसी कड़ी में बीते साल करीब 65 जगहों पर चाय चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ डायन प्रथा और मानव तस्करी पर विशेष रूप से चर्चा आयोजित हुई थी और 500 से ज्यादा गांवों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया था. कार्यक्रम के दौरान मानव तस्करी के कुछ मामले पुलिस के साथ साझा भी किये गये. इस मौके पर सिल्ली एवं अनगड़ा के डीएसपी सतीश कुमार झा समेत पुलिस के कई अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, बीडीओ, सीडीपीओ, ग्राम प्रधान हेसलबेड़ा समेत कई लोगों ने ग्रामीणों को मानव तस्करी रोकथाम संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये और लोगों को जागरूक रहने की बात कही.

मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में शामिल झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की एसएचजी महिला सदस्याएं.

मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में शामिल पुलिस अधिकारी व ग्रामीण.

मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक का मंचन कर ग्रामीणों को किया गया जागरूक.

केस स्टडी

एसएचजी महिला सदस्यों की सक्रियता से दो लड़कियां बरामद, दो की खोजबीन जारी

दलालों के चंगुल से मुक्त हुई चेतन सीका गांव की दोनों युवतियां (बीच में) अपने परिजनों व ग्रामीणों के साथ.

गांव	पंचायत	प्रखंड	जिला
चेतन सीका	बरकेला	खूंटपानी	प सिंहभूम

पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड स्थित एक पंचायत है बरकेला. इस पंचायत के चेतन सीका गांव से चार नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर के दलालों ने बहला-फुसला कर काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले गया. गांव से चार नाबालिग चंदा सुंडी, नोनिका सुंडी, राधे सुंडी और मोनिका सुंडी (सुरक्षा दृष्टिकोण से चारों लड़कियों का नाम बदल दिया गया है) के लापता होने की जानकारी मिलते ही तत्काल पीड़ितों के परिजनों ने ग्राम महिला संगठन को दिया. जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला संगठन के सदस्यों ने सबसे पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाईबासा में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.

वहीं 20 सितंबर 2016 को गांव की सक्रिय महिला सदस्यों ने महिला हेल्पलाइन 10921 को फोन कर गांव से चार बच्चियों की लापता होने की खबर दी. हालांकि महिला हेल्पलाइन की ओर से कहा गया कि पीड़ितों के परिजन रांची स्थित महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करायें. इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (जेएसएलपीएस) के जिला समन्वयक रमेश नायक को इस मामले की पूरी जानकारी दी गयी. रमेश नायक की पहल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाईबासा में ही मामला दर्ज हुआ. पीड़ितों के परिजनों ने इस मामले में प्रिया हांसदा का हाथ होने की आशंका व्यक्त की. मामला दर्ज होते ही एएचटीयू के पुलिस अधिकारी भी सक्रिय हुए और तत्काल प्रिया हांसदा को गिरफ्तार किया. साथ ही उसके पति पर जल्द से जल्द लापता बच्चियों को गांव जल्द लाने का दबाव बनाया. हालांकि गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़ितों के परिजनों ने मामला उठाने की धमकी भी दी, लेकिन सक्रिय महिला संगठनों के हमेशा साथ रहने के कारण उनलोगों की एक नहीं चली.

> 20 सितंबर 2016 को गांव की सक्रिय महिला सदस्यों ने महिला हेल्पलाइन 10921 पर फोन कर गांव से चार बच्चियों की लापता होने की सूचना दी.

इधर, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी खोजबीन तेज कर दी. एएचटीयू के पुलिस अधिकारियों की दबिश के कारण तीन दिन बाद ही पता चला कि लापता हुई चार बच्चियों में से दो बच्ची राधे सुंडी और नोनिका सुंडी को सिंगराय हांसदा के द्वारा वापस लाया गया. दोनों बच्चियों के सकुशल आते ही पुलिस ने सिंगराय हांसदा को धर-दबोचा. बरामद दोनों बच्चियों को पुलिस ने 30 सितंबर 2016 को बाल लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से सुपुर्द किया, जबकि लापता दो अन्य बच्चियों की खोजबीन जारी है. इस पूरे मामले में जहां सक्रिय महिला सदस्यों की भागीदारी काफी अहम रही, वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति और जिला बाल सुरक्षा यूनिट के सदस्यों का भी काफी योगदान रहा.

खुद को कमजोर न समझें नारी, संघर्ष रखें जारी

'नारी हो नारी, बात सुनो हमारी
खुद को कमजोर न समझ री...'

गीत की यह दो पंक्तियां उन सभी महिलाओं के लिए एक खुराक है, जो अपने ऊपर हो रहे सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखी हैं. महाभारत की द्रौपदी की कहानी 21वीं सदी में भी जारी है. बदलाव यह आया है कि महिलाएं आज ऐसी अत्याचारों के खिलाफ खड़ी हो गयी है. झारखंड के ग्रामीण कस्बों में महिला को डायन बताकर उसके साथ मार-पीट, नग्न कर गांव में घूमाना, मैला खिलाना जैसी खबरें अक्सर आती रहती है. राज्य में डायन प्रथा के खिलाफ कानून भी है, फिर भी घटनाएं जारी है. समाज में डायन प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से लालखटंगा पंचायत में लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम कई सालों से चलाया गया और इसी का परिणाम है कि लालखटंगा पंचायत (प्रखंड-नामकुम, जिला-रांची) सात जनवरी 2017 को डायन प्रथा मुक्त पंचायत बन गया.

डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या पर दी श्रद्धांजलि

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के सहयोग से सात जनवरी 2017 को सरस मेला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम में मोमबती जलाकर उन सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि दी गयी, जिनकी हत्या डायन बताकर लोगों ने कर दी थी. 'डायन हत्या बंद करो' लिखे तख्ती पर फूल चढ़ाकर मेले में आये लोगों ने श्रद्धांजलि दी. इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ भी शामिल हुए तथा डायन होने का दंश झेल चुकी छुटनी महतो की संघर्ष को जानने की कोशिश की. बाद में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिये डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि कैसे लोग डायन का लांछन लगाकर एक बेवश महिला की इज्जत को तार-तार कर देते हैं.

नाटक का चित्रण

10 साल की एक बच्ची को खेलते-खेलते सिर में दर्द होने लगता है. वह जमीन पर गिर जाती है. तभी उसकी मां, बेटी की हालत देखकर रोने लगती है. रोने की आवाज सुनकर पिता भी घर के बाहर आते हैं और जमीन पर बेहोश पड़ी बेटी को देखकर परेशान हो जाते हैं. पिता, पत्नी को डाटते हुए कहता है- मैं मना करता हूं कि बेटी को अकेले इस जगह पर खेलने मत दो. इसके बाद पिता डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, लेकिन इसी बीच रास्ते में एक ग्रामीण पूछता है- इतना परेशान होकर कहां जा रहे हो? पिता कहता है- मेरी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गयी है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा हूं. तब ग्रामीण पिता को समझाते हुए कहता है- तुम्हारी बेटी डायन के चपेट में आ गयी है.

एक नामी ओझा है, जो तुम्हारी बेटी को तुरंत ठीक कर देगा. ओझा अपने चेले के साथ बीमार लड़की को देखने आ जाता है. ओझा अपने तंत्र-मंत्र का उपयोग करते हुए कहता है- बेटी ठीक हो जायेगी, लेकिन इसके लिए कुछ चढ़ावा देना होगा. चढ़ावे में कुछ रुपये, खस्सी की बलि, कुछ मीटर कपड़ा आदि की मांग करता है. लाचार पिता ओझा के मांग को स्वीकार कर लेता है. इसके बाद ग्रामीण डायन के नाम पर एक महिला को उसके घर से घसीट कर बाहर लाते हैं और उस महिला के साथ मार-पीट करने लगता है. इस महिला का पति ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि उसकी पत्नी डायन नहीं है, उसे मत मारो. फिर भी ग्रामीण महिला को पीटते रहते हैं. अंत में महिला का पति पुलिस को बुलाता है. फिर पुलिस कर्मी ग्रामीणों को समझाते हैं कि किसी महिला को डायन बताकर उसके साथ मारपीट करने पर दो साल की जेल या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है. पुलिस समझाता है कि डायन कहना कानूनी अपराध है.

इधर, जिस महिला को ग्रामीण डायन कहकर मारपीट कर रहे थे, आखिर में वह पूछती है- क्या एक मां जो बच्चे को जन्म देती है, वह किसी बच्ची को कैसे खा सकती है? मेरी इज्जत को क्यों तार-तार करते हैं लोग? मैं भी किसी की मां, बहन, बेटी और पत्नी हूं, क्यों मेरी इज्जत को तार-तार करने पर तुले रहते हो? सिसकते-सिसकते महिला नाटक के मंच पर गिर जाती है और नाटक खत्म हो जाता है. दर्शक तालियों से इस नाटक और कलाकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. नाटक अपना संदेश छोड़ने में कामयाब दिखता है, क्योंकि जब नाटक समाप्त होता है, तो दर्शक आपस में डायन प्रथा के दुष्परिणाम कर चर्चा कर रहे थे. सरस मेला में डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूग करने के लिए जो नाटक पेश किया गया, वह असल में छुटनी महतो की कहानी थी. आज छुटनी डायन प्रथा के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में पहचानी जाती है. इनके जीवन पर देश-विदेश में कई लघु फिल्में बन चुकी है.

जर्मनी की टीवी चैनल एडीआर ने छुटनी महतो के जीवन पर एक फिल्म बनायी है. पुरस्कार स्वरूप उसे 20 हजार रुपये भी मिले. राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने दिल्ली में छुटनी महतो को उनके संघर्ष के लिए अवार्ड के साथ 50 हजार रुपये पुरस्कार के तौर पर दिये है. अभी तक 68 महिलाओं को छुटनी ने सहयोग दिया है, जो डायन प्रथा की शिकार थी.

डायन प्रथा को झारखंड राज्य से खत्म करने में छुटनी अपना सहयोग देना चाहती है. 54 वर्ष की उम्र में इनका हौसला बुलंद है. छुटनी महतो ने डायन के नाम पर जो असहनीय दर्द झेली है, चाहती है कोई दूसरी महिलाएं ऐसी दर्द को न झेले.

डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करते कलाकार.

डायन होने के कलंक ने ससुराल छोड़ने को मजबूर किया : छुटनी

डायन होने के कलंक के कारण ग्रामीणों ने छुटनी महतो को ससुराल छोड़ने पर मजबूर किया था. सरायकेला-खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड स्थित बीरबांसा गांव में रहती थी छुटनी, लेकिन ग्रामीणों ने जब इस पर डायन होने का कलंक लगाया, तो छुटनी अपने तीन बच्चों के साथ आधी रात को ससुराल छोड़ने को मजबूर हो गयी और अपने मायके चली आयी. परिवार और गांव वालों ने डायन के नाम पर जो दुर्व्यवहार किया, उसे याद कर आज भी सिहर उठती है छुटनी.

क्या था मामला

छुटनी महतो के ससुराल में पड़ोस की 18 वर्षीय लड़की इनके घर में खाना खा लिया करती थी. एक दिन उस लड़की ने छुटनी देवी से कहा कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है. इसपर मजाक में छुटनी ने कहा कि तुम गर्भवती हो सकती हो. कुछ दिन बाद जानकारी मिली कि वह लड़की वास्तव में गर्भवती है. इस लड़की के परिवार वालों ने सोचा कि बिना शादी के कोई कैसे गर्भवती हो सकती है? इसके पीछे किसी डायन का हाथ हो सकता है. चूंकि वह लड़की छुटनी के घर कभी खाना खा लेती थी, इस कारण डायन होने का शक छुटनी पर गया. इसी दिन से छुटनी महतो को डायन कहा जाने लगा. इनके परिवार और पड़ोसियों ने छुटनी महतो को बहुत पीटा, आखिर में मैला खिला कर छोड़ा. भय के कारण छुटनी आधी रात को ससुराल से अपना मायका भाग गयी. इस घटना से दुखी इनकी मां का निधन हो गया. छुटनी कहती हैं, मैं पेड़ के नीचे अपना जीवन गुजार लुंगी, पर कभी ससुराल नहीं जाउंगी. जिस गांव में एक महिला का सम्मान नहीं, उस गांव में नहीं रहना चाहती हूं. छुटनी आगे कहती हैं, मेरे दांत जो टूटे दिख रहे हैं, यह बीरबांसा के ग्रामीणों की मेहरबानी है. इस घटना को लेकर जब छुटनी थाना पहुंची, तो पुलिस ने छुटनी को झूठा करार दिया. इसके बावजूद छुटनी अपना संघर्ष जारी रखी.